राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2514/2025

राजकमल बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.04.2025

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1993 में एलडीसी के पद पर हुई थी और वर्ष 2016 में यूडीसी के पद पर तथा वर्ष 2021 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। दिनांक 01.04.2023 की वरिष्ठता सूची के अनुसार अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 59 पर था और उसे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिक्ति वर्ष 2024–25 के विरूद्ध आदेश दिनांक 30.07.2024 के द्वारा पदोन्नत किया गया। तदुपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2025 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 11 पर अंकित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी

की वरिष्ठता संशोधित कर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.07.2024 के द्वारा चयनित नहीं किया गया तथा उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान कर दी गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की वरिष्ठता का सही निर्धारण करते हुये उसे रिक्ति वर्ष 2024–25 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष